HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3850/2024

Chhaganlal S/o Late Shri Nathulal Mochi Sankhla
----Appellant

Versus

Shri Onkar Lal S/o Late Shri Manak Chand
----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Manoj Kumar Bhardwaj, Adv.
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

18/09/2024

प्रत्यर्थीगण को नियमानुसार अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस सामान्य प्रक्रिया के साथ साथ रजिस्टर्ड डाक से जारी किये जावे। निवेदन अनुसार नोटिस अपीलार्थी के अधिवक्ता को दस्ती प्रदान किये जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 व 2 द्वारा वादग्रस्त संपत्ति को अंतरित किया जा सकता है, इस बिन्दु पर अंतरित आदेश पारित किया जावे।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए गुणदोषों पर जाए बिना व अनावश्यक रूप से जटिलताएं उत्पन्न नहीं हो, मात्र इस सीमित उद्देश्य के लिए सुनवाई की आगामी तिथि तक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त संपति को विक्रय, अंतरित व भारित नहीं करे।

यह आदेश सभी प्रत्यर्थीगण पर नोटिस तामील होने के बाद प्रभावी होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या–3 बैंक अपने ऋण की वसूली के संबंध में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा और यह अंतरिम आदेश उसमें बाधक नहीं होगा।

आगामी तिथि पर पक्षकारों के उपस्थित आने पर नये सिरे से सुनकर आवश्यकतानुसार अंतरिम/अंतिम आदेश पारित किया जावेगा।

पत्रावली छह सप्ताह बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /75